...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...3-26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत करवाया कि मौजे ग्राम नया गाँव खालसा की आराजीयात में प्रार्थी का नाम जीवन पुत्र प्रजाती व जीवनराज पुत्र परभाती ~~माक~~ राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आदि दस्तावेजात में सही नाम जीवन पुत्र परभाती दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे। हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम नाम शुद्ध किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि खाता सं. 27 में जीवन पुत्र प्रजाती, खाता सं. 38 में जीवनराज पुत्र प्रजाती, खाता सं. 58, 67, 103, 685 में जीवनराज पुत्र परभाती के स्थान पर जीवन पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी नया गाँव खालसा दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से खारिज हो तथा संलग्न मूल वाद हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-03-26	पत्रावली पेश हुई। वकलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रति. सं 5, 7, 9 के तामील स्टेटस पेश किये। बाद तामील कोई उपस्थित नहीं आया। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाती है। बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली-भांति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि आराजीयात के संबंध में पक्षकारान के हकों का निर्धारण दावे साक्ष्य व सबूतों के परीक्षण के पश्चात तथा गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े एवं कानूनी पेचीदगियां पैदा नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 10.08.21 को तोकसला मूल वाद पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो. तथा संलग्न मूल वाद हो। उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज०	